

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 10.08.2023

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के समस्त जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच व पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2023 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को होगा। अतः समस्त जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, राधेवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141 2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/2022/2958

दिनांक: 11.8.23

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पिंकी शर्मा)
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग